





## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीलारीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :- 183/2024 जी.सी.एम.एस. संख्या :- 2024/190

समस्तहाय पुत्र प्रताप जाति मीना निवासी ग्राम भूधरपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. राजस्थान सरकार (जरिये तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।)
2. गोपाल पुत्र प्रताप जाति मीना निवासी ग्राम भूधरपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
3. कौली देवी पत्नी श्योनाथ जाति मीना निवासी ताजखां तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
4. हरसहाय पुत्र कानाराम जाति मीना निवासी ग्राम भिडव्यावास ठिकरिया मीनान तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
5. बट्टी पुत्र प्रताप जाति मीना निवासी ग्राम भूधरपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
6. लछमा देवी पत्नी रामलाल जाति मीना निवासी बाढ दूबल्यां तहसील समगढ पचवारा जिला दौरा राजस्थान।
7. सुरेश पुत्र ऊया जाति मीना निवासी ग्राम भूधरपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिथत--श्री विनोद कुमार शर्मा, एडो-प्रार्थी।

--निर्णय--

दिनांक 09/06/2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कब्जे काशत एवं खातेदारी भूमि वर्तमान खाता संख्या 66 खसरा नम्बर 138/117 रकबा 0.3541 है, खसरा नम्बर 142/117 रकबा 0.9104 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.2645 है। वाके ग्राम भूधरपुरा पटवार हल्का करणगढ तहसील तूंगा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के कब्जे काशत की भूमि का तहसीलदार तूंगा के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 08.05.2024 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते हैं। प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि के पडौस में अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 143/117 रकबा 0.9231 है, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की भूमि खसरा नम्बर 137/117 रकबा 0.3414 है, अप्रार्थी संख्या 5 की भूमि खसरा नम्बर 141/117 रकबा 0.6955 है, अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की भूमि खसरा नम्बर 152/139 रकबा 0.5290 है, अप्रार्थी संख्या 7 की भूमि खसरा नम्बर 123/4 रकबा 2.0864 है। वाके ग्राम भूधरपुरा प.ह. करणगढ तहसील तूंगा जयपुर स्थित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की कब्जे काशत व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 138/117 रकबा 0.3541 है, खसरा नम्बर 142/117 रकबा 0.9104 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.2645 है। वाके ग्राम भूधरपुरा पटवार हल्का करणगढ तहसील तूंगा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के कब्जे काशत की भूमि का तहसीलदार तूंगा जिला जयपुर की दिनांक 08.05.2024 रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। प्रार्थी के सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार तूंगा पत्रांक भूअ./2025/2033 दिनांक 23.05.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशाल है।

3. अधिवक्ता प्रार्थी की वहस सुनी गई। दौरान-ए-वहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 08.05.2024 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या 66 खसरा नम्बर 138/117 रकबा 0.3541 है, खसरा नम्बर 142/117 रकबा 0.9104 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.2645 है। वाके ग्राम भूधरपुरा पटवार हल्का करणगढ तहसील तूंगा जिला जयपुर की नकल पेश की।

अधिकारी  
बस्सी (जिला जयपुर)

30/06/2025  
100/1000/2004/1000  
1000/1000/2004/1000

प्रमाण अधिनियम प्राप्ति पर भण्डन किया। परामर्शी को अवलोकन किया। परामर्शी पर वास्तविक जमावर्ती साबित  
2015 से 2018 खाता संख्या 66 खसरा नम्बर 138/117 रकबा 0.3541 है। खसरा नम्बर 142/117 रकबा  
नम्बर 2 कुल रकबा 1.2645 है। वाके ग्राम भूधरपुरा पटवार हल्का करणगढ तहसील तूंगा  
जिला जयपुर को अधिकृत हल्का के अनुसार आराजी विवादित प्राप्ति की खातेदारी की आराजी होना साबित है।  
साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 08.05.2024 य तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा दिनांक 23.05.2025 पैश रिपोर्ट  
के भी यह तथ्य प्राप्ति साबित है कि प्राप्ति द्वारा तहसीलदार तूंगा के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक  
08.05.2024 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्मा इस प्रकार है कि :- Sec.

111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries  
the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing  
maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual  
possession.  
(2) If in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable  
to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been  
obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months  
previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and  
shall then fix the boundary accordingly-

Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land  
Records Officer in the manner laid down in section 111.

उक्त वादग्रस्त भूमि प्राप्ति की कब्जेकाशत की खातेदारी भूमि है, जिसका प्राप्ति द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया  
जा चुका है। इसलिये प्राप्ति को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित  
प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्राप्ति अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 66 खसरा  
नम्बर 138/117 रकबा 0.3541 है, खसरा नम्बर 142/117 रकबा 0.9104 है कुल  
किता 2 कुल रकबा 1.2645 है। वाके ग्राम भूधरपुरा पटवार हल्का करणगढ तहसील तूंगा  
जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार तूंगा को आदेश जारी किये जाते है  
कि वो अपनी उपस्थिति में प्राप्ति के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी  
की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 08.05.2024 के  
अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू-अभिलेख  
निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौके पर कानून  
व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस  
इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने  
की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह  
कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर  
दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावे। तहसीलदार तूंगा को पालना हेतु निर्णय प्रति  
भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली  
नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी बरसी  
जिला जयपुर